न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम–सह–विशेष न्यायाधीश, सिवान

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–476/2026

पचरूखी (सराय ओ.पी.) थाना कांड सं0–522/2025 से उत्पन्न

अंतर्गत धारा–64, 62 बी.एन.एस.

(आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता)

इंतजार अहमद ..... आवेदक/अभियुक्त

बनाम

बिहार राज्य द्वारा लोक अभियोजक ..... विपक्षी

उपस्थितः–श्री मशरूर अहमद, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक/अभियुक्त की ओर से
श्री अक्षयलाल यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक, विपक्षी की ओर से

आ–दे–श

17.03.2026

आवेदक/अभियुक्त इंतजार अहमद की ओर से पचरूखी (सराय ओ.पी.) थाना कांड सं0–522/2025, अंतर्गत धारा–64, 62 बी.एन.एस. के अंतर्गत गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत दाखिल किया गया।

अग्रिम जमानत आवेदन संचालित किया गया। आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक की बहस को सुना गया।

संक्षेप में, सूचिका निरमा कुमारी के द्वारा दिए गए लिखित आवेदन के आधार पर अभियोजन कथानक यह है कि सूचिका दिनांक 26.11.2025 को संध्या 07:25 बजे अपने घर से अपने लिए एलर्जी का दवा खरीदने कल्याणपुर बाजार जा रही थी तभी सूचिका के गॉव के इंतजार अहमद उसे बाजार जाते हुए गलत नजर से देख रहा था। सूचिका इस बात को इग्नोर करके कल्याणपुर बाजार गई और वहॉ से दवा लेकर आ रही थी, जैसे ही वह उखई पूरब पट्टी स्थित बलुआ फील्ड के कोने पर डॉ0 अब्दुल मजिद के बासवाड़ी के पास पहुॅची वैसे ही उसके आने का इंतजार पहले से कर रहा इंतजार अहमद एका–एक सूचिका के ऊपर लपका और उसके पूरे बदन को कस के पकड़ लिया। सूचिका छुड़ाने का प्रयास की लेकिन वह छुड़ा नहीं पाई। वह उसे खींच कर बासवाड़ी में ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी मंशा उसके साथ दुर्ष्कम करने की थी, लेकिन वह अपने पैर से उसको एक लात मारी जिससे उसके पंजे से छुटकर बाहर निकली और गिर गई। इंतजार अहमद पुनः उसे पकड़ लिया जिससे उसके बांये हाथ के कोहनी पर उसके नाखून का निशान हो गया और गिरने से उसका दोनों घुटना जख्मी हो गया। साथ ही उसके बांये हाथ का कोहनी भी कट गया। उस दौरान घुटना जख्मी हो गया। सूचिका चिल्लाई तो बगल के रास्ते से जाने वाले राहगीर आने लगे जिससे डरकर इंतजार अहमद उसे बासवाड़ी में जोर से फेंक दिया जिससे सूचिका के हाथ के बांये तरफ के कोहनी और दोनों तरफ के घुटने में गिरने से चोट लगा। सूचिका रोती हुई अपने घर आई और अपने मॉ से सारी बातें बताई। अधिक रात्रि हो जाने के कारण में थाना में सूचित नहीं की। दिनांक 27.11.2025 को थाना आकर सारी बात बताई।

आवेदक/अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदनपूर्वक बहस किया गया वह निर्दोष हैं उसने कोई अपराध नहीं किया है, उसे झूठे मुकद्मा में फंसाया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से इस जमानत आवेदन के अलावे अन्य कोई भी नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन इस

लगातार

17.03.2026

न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के समक्ष दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से आगे यह निवेदन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कोई भी मुकद्मा दर्ज नहीं हैं। अभियोजन कहानी झूठा, आधारहीन एवं मनगढ़ंत है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि सूचिका द्वारा मौजा उखई के खाता सं0 452, सर्वे सं0 3334, रकबा 0–1–13 की जमीन को कब्जा करने के लिए झूठा मुकद्मा दर्ज कराया गया है। आवेदक/अभियुक्त के फरार होने तथा उसके द्वारा अभियोजन साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। अतः जमानत आवेदन स्वीकृत करने का निवेदन किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया और कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध सूचिका को दुर्ष्कम करने की नियत से पकड़ने तथा मारपीट कर जख्मी करने का अभियोग है। अतः अग्रिम जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

उभय पक्षों के निवेदन के आलोक में अभिलेख अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत आपराधिक वाद पचरूखी (सराय ओ.पी.) थाना कांड सं0–522/2025, आवेदक/अभियुक्त के द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा–62, 64 भारतीय न्याय संहिता, आवेदक/अभियुक्त इंतजार अहमद के द्वारा सूचिका को बाजार से दवा खरीद कर वापस आने के क्रम में दुर्ष्कम की नियत से उसका बदन पकड़ने और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने के संदर्भ में संस्थित किया गया है। अभियोजन साक्षियों ने अपने साक्ष्य के क्रम में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है (कांड दैनिकी की कंडिका 4,5,6 में वर्णित)। प्रस्तुत आपराधिक वाद के संदर्भ में अभी अनुसंधान जारी है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आलोक में आवेदक/अभियुक्त की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किया जाना न्याय संगत एवं न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है, तद्नुसार आवेदक/अभियुक्त इंतजार अहमद की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–
(सुशील कुमार त्रिपाठी)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सिवान।